

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

बड़जलास श्री उत्साह चौधरी, (I.A.S.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 47/2019

दायर तारीख 17.07.2019

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.....वादी

बनाम्

1. गोदू पिता चतरा जाति मीणा निवासी कास्यां, तहसील बिजौलियाँ।
2. नोला पिता चतरा जाति मीणा निवासी कास्यां, तहसील बिजौलियाँ।
3. कमली पिता चतरा जाति मीणा निवासी कास्यां, तहसील बिजौलियाँ।
4. गोदू पुत्री चतरा जाति मीणा निवासी कास्यां, तहसील बिजौलियाँ।
5. बदाम पुत्री चतरा जाति मीणा निवासी कास्यां, तहसील बिजौलियाँ।
6. भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कास्यां, तहसील बिजौलियाँ।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री दिनांक : 18/03/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी मिनजानिब मुदई पैरोकार तहसीलदार एक पक्षीय मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया है डिक्री जारी की जाती है कि :-

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम कास्यां पटवार मण्डल कास्यां स्थित आराजी संख्या 69 रकबा 1.08 बीघा किस्म चाही द्वितीय भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे। डिक्री मूर्तिब हों।

बसल्ल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18/03/2021 को जारी की गई।

(उत्साह चौधरी, I.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

बिजौलियां

जिला भीलवाड़ा